Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

शेख बुडान बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **278** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी शेख बुडान पिता शेख पुराण जाति मुसलमान निवासी बोरगांव सरवणी औरंगाबाद (महाराष्ट्र) की और से पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 049/2022 दिनांक 06.03.2022 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1955 एवं अन्तर्गत धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में जब्त शुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MH 20 EL 6745** को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/78 दिनांक 08.01.2023 से अवगत कराया गया कि वाहन मालिक को सिपुर्द किये जाने में किसी भी प्रकार आपत्ति नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिमत का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MH 20 EL 6745** के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MH 20 EL 6745** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रूपये 25,00,000/- अक्षरे पच्चीस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। -S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 18.01.2023	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official